# पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

( पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग )

शिलांग, 29 अगस्त, 2005

शिलांग, (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1984, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर,

सा.का.नि. 325.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय,

राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में निदेशक, सूचना और जनसंपर्क के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामत:

- संश्चिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
  - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ मंलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि: उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वीक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में त्रिनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
  - 4. निरर्हता: जिसने-
    - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या
    - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

			अनुसूची		त्य रियायता यर काई प्रभाव नहीं पेड़ी
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<ol> <li>निदेशक, सूचना और जनसंपर्क</li> </ol>	01*(2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	₹. 12000-375- 16500	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा		सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं		क्या सीधी भर्ती से व्यक्तियों के लिए आयु एवं अर्हताएं, व्यक्तियों के मामले होंगी	निर्धारित यदि कोई हो प्रोन्नत
(7)		(8)		(9)	(10)
लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं	लागु नहीं

लागू नहीं

1309

भर्ती प्रणाली: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

यदि भर्ती, प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

# प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक अनुबंध सहित ):-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी/सांविधिक/स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो:-

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद्धारी हों ; या
  - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 10000—15200 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अईताएँ और अनुभव रखते हों :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से बैचलर डिग्री
- (ii) प्रचार/जनसंपर्क कार्य में दस वर्ष का अनुभव

# वांछनीय:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से मास्टर डिग्री
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष संस्था से सूचना प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजएट डिप्लोमा
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष संस्था से जन संपर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(13)	(14)		
लागू नहीं	पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित/ शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा		

[सं. एनईसी/एडीएम/10/2003 खंड-II]

राजीव माथुर, उप सचिव

## MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat Shillong)

Shillong, the 29th August, 2005

G.S.R. 325.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'A'), Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the

method of recruitment to the posts of Director of Information and Public Relations in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director of Information and Public Relations (Group 'A') Recruitment Rules, 2005.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
  - 4. Disqualification.—No person,—
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and ex-servicemen in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pa	y Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Director of Information and Public Relations.	1* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12000-3 16500	75- Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits.				Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicabl	e	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11

12

# Deputation (including Short term Contract)

# Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/ Recognised Research Institutions/Universites/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory/Autonomous Organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
  - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:

### Essential:

- (i) Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent.
- (ii) Ten years' experience in publicity/public relations work

### Desirable:

- (i) Masters' Degree from a recognized University or equivalent.
- (ii) Post Graduate Diploma in Information Technology from a recognized University/Institute or equivalent.
- (iii) Post Graduate Diploma in Public Relations from a recognized University/ Institute or equivalent.

(Period of deputation (including short-terms contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment		
13	14		
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment/relaxation of any provision of these recruitment rules.		

[F. No. NEC/ADM/10/2003 Vol. II]

R. MATHUR, Dy. Secv.

